

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक : एफ 40(106)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स-PMKSY/2016(पार्ट-2)/Eo-107247 जयपुर, दिनांक

21 FEB 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों के लिए आयोजना और निगरानी फ्रेम वर्क बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 17.11.16, 22.12.16 एवं भारत सरकार का पत्र क्रमांक F.No-J-11011/07/2016-RE-I (351427) दि. 01.11.16।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दि. 01.11.16 द्वारा भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (NRM) सम्बन्धी कार्यों के लिए आयोजना बनाने तथा निगरानी फ्रेमवर्क सम्बन्धी दिशा-निर्देश (प्रति संलग्न) जारी किये हैं। उपरोक्त तीनों प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये जाने वाले समान कार्यों में जल संरक्षण और प्रबन्धन, जल संचयन, मृदा एवं आद्रता संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, बाढ़ से संरक्षण, भूमि विकास, कमाण्ड ऐरिया डेवलपमेन्ट और जल प्रबन्धन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) शामिल हैं।

इन कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण और संगत जानकारियों के व्यापक आंकड़ों के अभिसरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय के परामर्श एवं सहमति से इन योजनाओं के अन्तर्गत एनआरएम कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए अभिसरण फ्रेम वर्क जारी किया है।

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 में उल्लेखित अनुमत कार्यों में 153 प्रकार के कार्यों में से 100 प्रकार के कार्य केवल एनआरएम से सम्बन्धित हैं। इन 100 एनआरएम कार्यों (प्रति संलग्न) में से 71 कार्य जल से सम्बन्धित हैं। राज्य के चिन्हित Over exploited (172) & critical blocks (24) कुल 196 ब्लॉक (प्रति संलग्न) में आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में एनआरएम से सम्बन्धित कम से कम 65 प्रतिशत कार्य आवश्यक रूप से लिये जाने हैं। भारत सरकार की सूची में नवगठित ब्लॉक अनुसार संशोधन कर ये कार्य जिला सिंचाई प्लान में सम्मिलित किये जावे।

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम बजट तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है। पीएमकेएसवाई के अन्तर्गत सभी जिलों में जिला सिंचाई योजना को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कृपया निम्न कार्यवाही करावे :-

1. सभी सम्बन्धितों को निर्देशित करें कि जिले के चिन्हित Over exploited & critical blocks में आगामी वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना में एनआरएम से सम्बन्धित कम से कम 65 प्रतिशत कार्य लिये जावे।
2. उक्त चिन्हित ब्लॉक के लिए स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर से आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए तैयार किये गये वॉटरशेड मैप्स प्राप्त करे।
3. उक्त चिन्हित ब्लॉक के लिए RRSC जोधपुर द्वारा एनआरएम कार्यों के लिए वॉटरशेड सिद्धान्तों पर डीपीआर तैयार करने के लिए जीआईएस तकनीक के उपयोग से तैयार किये गये थिमेटिक आउट पुट सम्बन्धी मैप्स प्राप्त किये जावे। RRSC, जोधपुर द्वारा डीपीआर में लिए जाने वाले कार्यों की लोकेशन स्पेशिफिक आवश्यकता के औचित्य के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया जायेगा।

4. उक्त चिन्हित ब्लॉक के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड द्वारा एक्यूफर मैप्स एवं एक्यूफर मैनेजमेन्ट प्लान से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
5. काजरी एवं ऑफरी, जोधपुर से मिशन जल संरक्षण के तहत एनआरएम कार्यों के लिए लोकेशन स्पेशिफिक लिए जाने वाले कार्यों हेतु सुझाव एवं मॉडल तकमीने प्राप्त किये जायें।
6. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत NRM से सम्बन्धित कम से कम 65 प्रतिशत कार्य जिला सिंचाई प्लान में सम्मिलित किये जावे।
7. जल संसाधन विभाग से जिले के मृत जल निकायों (Defunct Water Bodies) की सूचना प्राप्त कर उनके पुनरुद्धार का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना की राशि से कन्वर्जेन्स के तहत कराया जाना सुनिश्चित करे।

डीपीआर तैयार करने के कार्य में आरआरएससी, सीजीडब्ल्यूडी, नाबार्ड, काजरी, आफरी, एसआरएसएसी जैसे संस्थानों एवं वन विभाग, जलग्रहण विकास विभाग तथा कृषि विभाग के राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिया जावे। कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(सुदर्शन सेठी)
अति. मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग



(नीलकमल दरबारी)
प्रमुख शासन सचिव,
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डाईरेक्टर, राजीविका, जयपुर।
5. शासन सचिव, वन विभाग।
6. निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईजीएस), वन विभाग, जयपुर (ccf.egs.forest@rajasthan.gov.in)।
8. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
9. निदेशक, काजरी, पॉल रोड, जोधपुर।
10. सीजीएम, नाबार्ड, टोंक रोड, जयपुर।
11. रीजनल निदेशक, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, 6 ए, झालाना डूंगरी, जयपुर।
12. महा प्रबन्धक, रीजनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर (RRSC), जोधपुर।
13. निदेशक, ऑफरी, बासनी, न्यू पॉल रोड, जोधपुर।
14. परियोजना निदेशक, स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (SRSAC), जोधपुर।
15. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस मुख्यालय।
16. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
17. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
18. संयुक्त निदेशक, कृषि (Agronomy-WUC), रूम नं.-121, पंत कृषि भवन, जयपुर (singhrudradev@yahoo.com)
19. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।



परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

212

जल संरक्षण मिशन

समग्र पीएमकेएसवाई कार्रवाई फ्रेमवर्क में
मनरेगा योजना के अंतर्गत
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन फ्रेमवर्क

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

183
213

महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यों के लिए आयोजना और निगरानी फ्रेमवर्क

पृष्ठभूमि

देश के मितल 141 मिलियन हेक्टेयर बोया क्षेत्र में से लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र (45 प्रतिशत) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है अर्थात् 76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वर्षा पर आधारित है और ये क्षेत्र देश के कतिपय सबसे ज्यादा पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है। 112 जिले "सिंचाई सुविधा से सबसे ज्यादा वंचित" जिले हैं (इन जिलों की राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में दर्शाई गई है)। इसके अतिरिक्त भू-जल के अत्यधिक दोहन से स्थिति गंभीर होने के कारण 1068 ब्लॉकों को अत्यधिक दोहित ब्लॉकों और और 217 ब्लॉकों को गंभीर स्थिति वाले ब्लॉकों की श्रेणी में डाल दिया गया है (सूची अनुबंध-11 में दर्शाई गई है)।

भूमि के उपयोग को बढ़ावा देने वाले, पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने वाले और ग्रामीण परिवारों को विविध आजीविकाओं का विकल्प उपलब्ध कराने वाली प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से टिकाऊ आजीविकाओं के अवसरों का सृजन ही गरीबी और भूख के उपशमन का मुख्य उपाय है। हाल के वर्षों में राज्यों में जल संरक्षण के लिए सफल प्रयास किए गए हैं। राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', झारखंड में 'डोभा' या पोखरों का निर्माण, तेलंगाना में 'काकातिया मिशन', आंध्र प्रदेश में 'नीरु चेट्टू', मध्य प्रदेश में 'कपिल धारा', कर्नाटक में बोरवेल पुनर्भरण, महाराष्ट्र में 'जल युक्त शिवर' हाल ही में की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क इन राज्यों में किए गए अनेक अच्छे कार्यों और कुछ अन्य पहलों पर आधारित है।

उपर्युक्त तीन प्रमुख कार्यक्रमों यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के उद्देश्य एक समान हैं। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले समान कार्यों में जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संचयन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, बाढ़ से संरक्षण, भूमि विकास, कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इनके अपने आयोजना साधनों, प्रक्रियाओं, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय संसाधनों से उपर्युक्त समस्याओं के समाधान किए जाते हैं।

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-1 के अनुसार अनुमेय कार्यों के रूप में 153 प्रकार के कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से 100 प्रकार के कार्य केवल एनआरएम से संबंधित हैं (सूची अनुबंध-3 में दर्शाई गई है)। इन 100 एनआरएम कार्यों में से 71 कार्य जल से संबंधित हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में एनआरएम कार्यों पर लगभग 24300.00 करोड़ रु. खर्च किए गए, जो कि कुल व्यय का 58.41 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में (अब तक) एनआरएम संबंधी कार्यों पर व्यय 63 प्रतिशत से अधिक हो गया है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तकनीकी कार्मिकों को ये कार्य करने का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है और इसलिए निष्पादित किए जाने वाले ऐसे कार्यों की गुणवत्ता प्रायः असंतोषजनक होती है और वांछित तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप नहीं होती है।

दूसरी ओर हालांकि आईडब्ल्यूएमपी में वॉटरशेड सिद्धांत पर आधारित एनआरएम कार्य करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक होते हैं और अधिकांश वॉटरशेडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की जाती हैं, लेकिन इनमें मनरेगा जैसे वित्तीय संसाधनों और गहन प्रसार का अभाव होता है।

पीएमकेएसवाई में महात्मा गांधी नरेगा योजना, आईडब्ल्यूएमपी, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) इत्यादि जैसी जल संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों पर आधारित सभी ग्रामीण परिसम्पत्तियों/अवसंरचनाओं के साथ अभिसरन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। मनरेगा में सामग्री घटक के अंतर्गत 40 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 11 राज्यों में पानी के अभाव वाले 151 ब्लॉकों के लिए 175 करोड़ रु. (अब तक) रिलीज किए हैं।

मृदा, जल एवं वैजिटेटिव कवर, उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में नियमित अंतरालों पर प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के क्षेत्र में काफी प्रौद्योगिकीय प्रगति हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, में वॉटरशेडों के निर्धारण और किए गए कार्यकलापों की निगरानी के लिए मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों के साथ-साथ भुवन वेब जीआईएस पोर्टल (web GIS portal) विकसित है।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भू-जल संसाधनों से संबंधित जानकारियों का भंडार है। जल की कमी वाले ब्लॉकों के जीओमॉर्फोलॉजिकल और जलवायु क्षेत्रों के आधार पर उन ब्लॉकों के लिए आवश्यक/उपयुक्त डिजाइनों और संरचनाओं के विषय में क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ सीजीडब्ल्यूबी में उपलब्ध हैं।

इन कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरन और संगत जानकारियों के व्यापक आकड़ों के अभिसरन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय के परामर्श एवं सहमति से इन योजनाओं के अंतर्गत एनआरएम कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए अभिसरन फ्रेमवर्क जारी करने का निर्णय लिया है।

राज्यों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू गयी है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सभी जिलों में जिला सिंचाई योजना की तैयारी का कार्य सितंबर, 2016 तक सम्पन्न हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मनरेगा योजना की वार्षिक कार्य योजना/श्रम बजट के संगत भाग को विधिवत इन जिला सिंचाई योजनाओं में शामिल किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कम से कम 65 प्रतिशत व्यय अनुबंध-1,2,4 और 5 में सूचीबद्ध जिलों/ब्लॉकों में एनआरएम संबंधी कार्यों पर किया जाए।

महात्मा गांधी नरेगा, पीएमकेएसवाई और आईडब्ल्यूएमपी में अभिसरन (कंवर्जेंस) संबंधी नवाचार

1. एनआरएम आयोजना संबंधी सिद्धांत

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में राहत कार्य दृष्टिकोण के स्थान पर समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (आईएनआरएम) दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। मनरेगा योजना में परंपरागत 'राहत कार्य के रूप में' किए जाने वाले इक्का-दुक्का कार्यों के स्थान पर आईएनआरएम परिप्रेक्ष्य अपनाया जाना चाहिए। कृषि उत्पादकता और गरीब लोगों की आमदनी में स्थायी वृद्धि करने के लिए पूरे देश में मनरेगा कार्य भूमि के योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास तथा वॉटरशेड सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए वर्षा जल के उपयोग पर केंद्रित होने चाहिए। एनआरएम में वर्षा जल की बह जाने वाली मात्रा को न्यूनतम करने, बंजर भूमि पर कृषि कार्य शुरू करने, सार्वजनिक जमीनों का उत्पादक उपयोग करने, अनुसूचित

जातियों/जनजातियों और छोटे एवं सीमांत किसानों की जमीनों का विकास करने के लिए स्व-स्थाने (in situ) वर्षा जल संरक्षण/संचयन पर विशेष जोर देते हुए प्राकृतिक संसाधनों का समग्र गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शामिल होगा, ताकि उनकी उत्पादकता और आजीविकाओं को बढ़ावा दिया जा सके। वॉटरशेड में आने वाले बड़े किसानों की जमीनों का भी विकास पर्वत श्रेणी से घाटी तक संपूर्ण वॉटरशेड के संसाधन के दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाएगा। आईएनआरएम के सिद्धांतों के आधार पर अलग-अलग कार्यों का तर्कसंगत क्रम और पैकेज तैयार करके उन्हें परियोजनाओं का रूप दिया जाना है। समेकित तरीके से वॉटरशेड प्रबंधन के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए निजी जमीनों पर भी कार्य किए जाने चाहिए। परियोजनाओं के व्यवस्थित निर्धारण, आयोजना और कार्यान्वयन की पुरजोर सिफारिश की जाती है क्योंकि इससे समुदाय के लिए स्थायी और उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है।

2. अभिसरनयुक्त आयोजना के लिए अभिसरन की इकाई जिला

2.1 जिला अभिसरनयुक्त आयोजना के लिए जिला कलक्टर के नेतृत्व में अभिसरन इकाई होगी। श्रम बजट (मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना) में जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) अर्थात् कलक्टर द्वारा समन्वय किया जाएगा। जिला कलक्टर जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलों में वॉटरशेड परियोजनाओं (आईडब्ल्यूएमपी) से संबंधित संदर्शी एवं वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करेंगे। पीएमकेएसवाई के प्रचालन दिशा-निर्देशों के पैरा 13 के अनुसार कलक्टर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डीएलआईसी) के अध्यक्ष होते हैं। डीएलआईसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट आउटपुटों और परिणामों के लिए विभिन्न वित्तपोषी योजनाओं और कार्यक्रमों के योगदानों को दर्शाते हुए जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) तैयार करें। डीपीसी/जिला कलक्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनरेगा योजना, आईडब्ल्यूएमपी और पीएमकेएसवाई से संबंधित वार्षिक कार्य योजनाओं में इस तरह से समन्वय किया जाए कि उस क्षेत्र में मौजूदा योजनाओं के अभिसरन से गांव/वाटरशेड/सीएडी दृष्टिकोण के समेकित विकास के लिए आवश्यक सभी कार्य/कार्यकलापों को समाविष्ट/समेकित करते हुए गांव/वाटरशेड/कमांड क्षेत्र की व्यापक परियोजना तैयार की जा सके। जिला सिंचाई योजना तैयार करते समय आईआईटी, एनआईआईटी, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य तकनीकी संस्थाओं जैसी संस्थाओं की सहायता ली जानी चाहिए। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में पेशवरों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। विश्वविद्यालय 'उन्नत भारत अभियान' के हिस्से के रूप में वॉटरशेड के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। जिला स्तर पर इन भागीदारियों के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर जोरदार प्रयास कारगर होगा।

2.2 डीपीसी/कलक्टर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मनरेगा योजना के भ्रम बजट के राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन घटक को अनिवार्य रूप से जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) का हिस्सा बनाया जाए।

2.3 प्लानिंग करते समय वाटरशेड सेल-कम-डाटा सेंटर, मनरेगा यूनिट, जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग में आईडब्ल्यूएमपी के तकनीकी कार्मिकों का संयुक्त पूल तकनीकी इनपुट तैयार करेगा। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के क्षेत्रीय कार्यालयों से ईआरएम/जल निकायों से भी संबंधित तकनीकी इनपुट मांगे जा सकते हैं। संबंधित राज्य प्राधिकरण/सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय अधिकारी मनरेगा के अधिकारियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे।

3. केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ परामर्श

3.1 प्रस्तावित जल निकायों का स्थान निर्धारित करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए एक्विफर मानचित्रों के संबंध में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वे प्लानिंग पर विचार करते समय क्षेत्र-विशिष्ट भूजल पुनर्भरण के लिए आवश्यक संरचनाओं के डिजाइन के संबंध में ब्यौरे भी उपलब्ध करा सकते हैं। क्षेत्रीय निदेशकों से एनआरएम कार्यों के लिए वैज्ञानिक पद्धति से योजना तैयार करने में अपनी सेवाएं देने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

4. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), आईएसआरओ के साथ परामर्श

4.1 एनआरएससी, भुवन के जियो पोर्टल में राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन की आयोजना का पूरा समाधान है। इसके पास हाई रिजॉल्यूशन डाटा और अपेक्षित जल संरक्षण/संचयन संरचनाओं के लिए आसपास में सही स्थान देने और उसका विश्लेषण करने के लिए वर्षा जल, सतही जल, भूजल और मृदा नमी; जल बहाव, भूमि कंटूर, निकासी, मृदा स्थिति से संबंधित जानकारी है। राज्य दूरस्थ संवेदी केंद्रों से भी राज्य ग्रामीण विकास विभागों को प्लानिंग प्रयोजनों के लिए पूरी सहायता देने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

4.2 वाटरशेड/डीआईपी के हिस्से के रूप में मनरेगा से संबंधित एनआरएम की योजना बनाने के लिए एनआरएससी के मोबाइल ऐप को कस्टमाइज किया जाएगा जिसकी जियो-टैगिंग की जाएगी तथा प्लानिंग से लेकर निष्पादन स्तर तक इस पर नजर रखी जाएगी।

5. समुदाय आधारित भागीदारीपरक प्लानिंग और स्थायी आजीविका का सृजन

स्थायी आजीविकाओं का सृजन एनआरएम/आईडब्ल्यूएमपी कार्यों के वांछित आउटपुटों में से एक है। इसलिए एनआरएम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को मनरेगा योजना के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं की प्लानिंग और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।

6. परियोजनाओं की सूची के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अभिपुष्टि की प्रक्रिया

मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतें परियोजनाओं की सूची पर चर्चा और इसकी प्राथमिकता तय करती हैं। राज्यों में ग्राम पंचायतों के आकार के आधार पर 2500-5000 हेक्टेयर के लघु तथा सूक्ष्म वाटरशेडों में अक्सर 1-10 ग्राम पंचायतें होती हैं। साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक आयोजना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला सिंचाई योजना में अनुमोदित किए गए वाटरशेड/कमांड क्षेत्र दृष्टिकोण से संबंधित अनुशंसित कार्य योजना समुदाय द्वारा मानक बनाए जाने और जांचे जाने के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजी जाएगी। वाटरशेड/कमांड क्षेत्र में शामिल सभी ग्राम पंचायतों की सभी ग्राम सभाएं उस अंतिम डीपीआर को अनुशंसित करेंगी जिसमें समुदाय के सभी सुझावों को दर्शाया गया है। इसके साथ-साथ वाटरशेड स्तर पर सामुदायिक संगठन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी ताकि परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन निर्धारित किए जाने से पूर्व समुदाय आधारित प्लानिंग और कार्यान्वयन संरचना पहले से ही मौजूद हो। डीआईपी तैयार करने के स्तर पर इन सामुदायिक संगठनों/ग्राम पंचायतों से भी परामर्श किया जाए।

मनरेगा योजना में एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए प्लानिंग और कार्यान्वयन की प्रणाली तैयार करनी होगी क्योंकि आमतौर पर ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं है। जल की कमी वाले क्षेत्रों और एनआरएम के गहन ब्लॉक क्लस्टरों में मनरेगा योजना के क्लस्टर फैसिलिटेशन दलों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

7. आईडब्ल्यूएमपी के साथ अभिसरन के बिना या अभिसरन के साथ मनरेगा

आईडब्ल्यूएमपी के साथ अभिसरन के बिना या अभिसरन के साथ मनरेगा के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो कि निम्नानुसार है:

7.1 मनरेगा के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्य स्वतंत्र रूप से किया जाए- जहां कोई भी आईडब्ल्यूएमपी परियोजना मंजूर नहीं की गई है, वहां मनरेगा के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्य स्वतंत्र रूप से किया जाए। ये कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जाएंगे:

7.1.1 ग्राम पंचायत में पूरे वाटरशेड का व्यापक आकलन करने के बाद ही वाटरशेड प्रबंधन कार्य शुरू किए जाएंगे और इससे मृदा क्षरण, वर्षा जल एकत्रीकरण और वनीकरण की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। व्यापक वाटरशेड योजना के बगैर उपर्युक्त श्रेणी में स्टैंडअलोन कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कई वर्षों तक कार्यों को चलाए जाने की बजाए एक ही कार्य मौसम में संरचना को पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे। दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए परिणाम को समयबद्ध बनाना होगा।

7.1.2 रिज-टू-वैली (Ridge to valley) ट्रीटमेंट की अवधारणाओं के अनुसार व्यापक वाटरशेड योजना तैयार की जाएगी। इस प्लानिंग कार्य के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

7.1.3 उपयुक्त स्थानों का चयन करने और उपर्युक्त योजनाएं तैयार करने के लिए इंजीनियरों/तकनीकी सहायकों और ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा योजना के मेटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और आईडब्ल्यूएमपी की राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी और डब्ल्यूसीडीसी के तकनीकी कर्मियों इसमें सहायता प्रदान करेंगे जिसकी लागत की पूर्ति मनरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय से की जाएगी।

7.1.4 वाटरशेड परियोजनाएं अधिमानतः क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ शुरू की जाएंगी।

7.2 आईडब्ल्यूएमपी के साथ अभिसरन में मनरेगा के अंतर्गत वाटरशेड प्रबंधन कार्य - जहां कहीं भी आईडब्ल्यूएमपी परियोजना पहले से स्वीकृत हो चुकी है, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामग्री गहन कार्य आईडब्ल्यूएमपी के तहत शुरू किए जाएं और अन्य सभी मजदूरी गहन एनआरएम कार्य मनरेगा योजना के तहत किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कार्यों का दोहराव नहीं होगा। इस अभिसरन को सुनिश्चित करने और मनरेगा के सभी गैर-परक्राम्य प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी मनरेगा और आईडब्ल्यूएमपी के कार्यक्रम अधिकारियों की होगी।

7.3 वे क्षेत्र जहां आईडब्ल्यूएमपी का कार्यान्वयन पहले से चल रहा है - इन क्षेत्रों में आईडब्ल्यूएमपी के तहत तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में एनआरएम कार्य शामिल होंगे जिनके लिए आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत अपर्याप्त निधि प्रावधान किए गए हों। इन एनआरएम श्रेणी वाले कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जा सकता है ताकि इसके द्वारा वित्तपोषण हो सके और इसकी प्रक्रियाओं के अनुसार इसका निष्पादन किया जा सके। वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) तकनीकी अनुमान तैयार करेगी और मनरेगा के तकनीकी सहायकों/ कनीय अभियन्ता को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा तथा परिणामों की अंतिम जांच मापन-सह-मूल्यांकन करेगा। ऐसे वाटरशेड कार्य करने की सलाह दी जाती है जिनमें आईडब्ल्यूएमपी का डेढ़ वर्षों का शुरुआती कार्य पूरा हो चुका हो।

7.4 ऐसे क्षेत्र जहां अपर्याप्तता के कारण डीपीआर को पुनः तैयार करने की आवश्यकता हो वहां इन वाटरशेडों की डीपीआर का उपयोग किया जाना चाहिए।

7.5 नई आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाएं - भविष्य की उन सभी आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में जहां आईडब्ल्यूएमपी की डीपीआर तैयार की जानी हो वहां मनरेगा के साथ अभिसरन के माध्यम से एनआरएम कार्यकलापों को शामिल किए जाने की जरूरत है और मनरेगा योजना के अधिकारियों, वाटरशेड समितियों तथा ग्राम सभा के साथ परामर्श करके डीपीआर में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। डीपीआर तैयार करने के लिए वाटरशेड क्षेत्रों के तकनीकी संसाधनों को इन क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों के लिए तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सीएसआर (CSR) को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि अच्छी डीपीआर तैयार हो सके और इसकी अच्छी निगरानी की जा सके।

8. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM), ईआरएम (ERM) और जल निकायों के कार्यों को प्राथमिकता देना।

भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उपशमन के लिए सतही सिंचाई प्रणाली ने प्रमुख योगदान किया है। हालांकि, सतही सिंचाई प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख चुनौती सृजित की गई सिंचाई क्षमता और उपयोग में लाई गई सिंचाई क्षमता के बीच बढ़ता हुआ अंतर

है। इस बढ़ते हुए अंतर का मुख्य कारण कमांड क्षेत्र विकास कार्यो विशेष रूप से फील्ड चैनलस, फील्ड ड्रेन्स, फार्म ड्रेन्स आदि जैसे ओएफडी कार्यो पर ध्यान न देना है।

मनरेगा के तहत अनुमेय कार्यो में माइनर्स, सब-माइनर्स एवं फील्ड चैनलों की एकबारगी मरम्मत होगी जिसमें तलछट, लघु झिरियाँ की मरम्मत, भूमि का समतलीकरण, मिट्टी के किनारों की मरम्मत, मिट्टी से किनारों को ऊँचा करना और नहर के आधार की सतह तैयार करना, नहर की लाइनिंग तैयार करना, फील्ड ड्रेन्स तथा फार्म नेट संबंधी कार्य शामिल हैं। मनरेगा के तहत नियमित रख रखाव (O&M) अनुमेय कार्यकलाप नहीं होंगे। सीएडी एंड डब्ल्यूएम संबंधी कार्यो की पहचान में सुविधा के लिए निम्नलिखित सूची संलग्न है :-

- I. ~~आरएम~~ कार्यो के लिए एआईबीपी/अन्य परियोजनाओं की पूर्ण सूची (अनुबंध-4)
- II. ~~आरएम~~ कार्यरत जल निकायो की सूची (अनुबंध-5)

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय की किसी अन्य योजना से संबंधित कार्यो की गणना दोबारा नहीं की जाएगी।

9. कुंओ का निर्माण करना

मनरेगा के तहत व्यापक रूप से जो कार्य शुरू किया गया है, वह कुंओ का निर्माण है, हालांकि बहुत से अवसरों पर ऐसा पाया गया है कि यह कार्य मौजूदा हाइड्रो-भौगोलिक परिस्थितियों और पहले से बने पश्चप्रवण पर संभावित प्रभाव, वॉटर टेबल एवं वॉटर क्वालिटी को बिना ध्यान में रखे किया गया है। भू-जल एक सामान्य स्रोत भंडार है। कुंओ और ट्यूबवेलों जैसे वैयक्तिक स्रोतों के माध्यम से भू-जल दोहन से जल की मात्रा (गहराई) और संसाधन की गुणवत्ता को अक्सर खतरा हो जाता है। इसलिए मनरेगा के तहत कुंए खोदने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जा रही हैं :

- क. मनरेगा के तहत बोरवेल और ट्यूबवेल जैसे अनुमेय कार्यकलापों के लिए किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- ख. ऐसे क्षेत्र जिन्हें केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूडी) के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा अधिक दोहन वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो, वहां मनरेगा के तहत अनुमेय कार्यकलाप के रूप में निजी कुओं की खुदाई नहीं की जाएगी।
- ग. ऐसे क्षेत्र जिन्हें केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूडी) के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा अधिक दोहन वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो, वहां कुओं को रिचार्ज करने के लिए सैंड फिल्टर वाले "सामूहिक कुओं" जिनसे किसान समूह जल दोहन के लिए सहमत हों, की ही अनुमति होगी। ऐसे प्रत्येक समूह में कम से कम 3 किसान शामिल होंगे।
- घ. सामूहिक कुएं से जल दोहन के लिए किसानों के बीच एक औपचारिक करार (स्टेम्प पेपर पर) होना चाहिए। समूहों के बीच इस करार का सत्यापन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।
- ङ. परिवार का केवल एक सदस्य ही इस समूह का सदस्य हो सकता है और वह एक समूह से अधिक का सदस्य नहीं हो सकता।
- च. इस सामूहिक कुएं को राजस्व रिकॉर्ड में सामूहिक सिंचाई कुएं के रूप में पंजीकृत कराया जाना चाहिए।
- छ. ऐसे क्षेत्र जिन्हें सीजीडब्ल्यूडी ने "सुरक्षित" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर दिया हो, वहां निजी कुओं की अनुमति भी दी जा सकती है। ऐसे कुओं की गहराई और उनका व्यास तथा कुएं से कुएं के बीच की दूरी उस क्षेत्र की हाइड्रोलॉजी के अनुरूप होनी चाहिए। कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में कुएं का व्यास 8 मीटर तक रखना चाहिए। सॉफ्ट चट्टान और एल्यूविअल क्षेत्रों में कुएं का व्यास 6 मीटर से कम होना चाहिए।
- ज. सलाह दी जाती है कि कुएं को रिचार्ज करने के लिए इसका निर्माण सैंड फिल्टर के साथ किया जाना चाहिए।

10. निगरानी

223

मनरेगा योजना के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता की समीक्षा समय-समय पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / आयुक्तों (मनरेगा) के स्तर पर की जाएगी।

List of Identified Works Permissible Under MGNREGA (with NRM Works Marked)				
S.N	Work_Cat-	Work_Cat-Name	Pro_Status_desc	NRM
01	CA	Coastal Areas	Belt Vegetaion	Y
02	CA	Coastal Areas	Const of Storm water Drains	Y
03	DP	Drought Proofing	Afforestation	Y
04	DP	Drought Proofing	Eco Restoration of Forest	Y
05	DP	Drought Proofing	Forest Protection	Y
06	DP	Drought Proofing	Grass land Development and Silvipasture	Y
07	DP	Drought Proofing	Nursery Raising	Y
08	DP	Drought Proofing	Plantation in Government Building	Y
09	DP	Drought Proofing	Road/Canal Side Plantation	Y
10	DP	Drought Proofing	Plantation	Y
11	DP	Drought Proofing	Land Development	Y
12	DW	Rural Drinking Water	Recharge Pits	Y
13	DW	Rural Drinking Water	Gug-wells	Y
14	DW	Rural Drinking Water	Soak Pits	Y
15	FP	Flood Control and Protection	Bio Drainage	Y
16	FP	Flood Control and Protection	Chaur Renovation	Y
17	FP	Flood Control and Protection	Construction of Intermediate and Link Drains	Y
18	FP	Flood Control and Protection	Construction of Strom Water Drains	Y
19	FP	Flood Control and Protection	Cross Bond	Y
20	FP	Flood Control and Protection	Deepening and Repair of Flood Channels	Y
21	FP	Flood Control and Protection	Desilting	Y
22	FP	Flood Control and Protection	Diversion Channel	Y
23	FP	Flood Control and Protection	Diversion Weir	Y
24	FP	Flood Control and Protection	Drainage in Water Logged Areas	Y
25	FP	Flood Control and Protection	Peripheral Bunding	Y
26	FP	Flood Control and Protection	Spurs and Torrent Control Measures	Y
27	FP	Flood Control and Protection	Strenthening of Embankment	Y
28	IC	Micro Irrigation Works	Construction of Canal Distributory and Minor	Y
29	IC	Micro Irrigation Works	Lift Irrigation	Y
30	IC	Micro Irrigation Works	Lining of Canals	Y

31	IC	Micro Irrigation Works	Rehabilitation of Minors, Sub Minors	Y
32	IC	Micro Irrigation Works	Community Well for Irrigation	Y
33	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Farm Pond	Y
34	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Artificial Recharge of Well Through Sand Filter	Y
35	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Boulder Check	Y
36	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Contour Bunds	Y
37	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Earthen Gully Plug	Y
38	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Loose Boulder Structure	Y
39	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Recharge Pits	Y
40	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Reclamation of Land	Y
41	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Soak Pits	Y
42	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Construction of Contour	Y
43	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Construction of Drainage Channels	Y
44	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Construction Farm Bunds	Y
45	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Construction of Graded Bund	Y
46	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Construction of Water Courses/Field Channel	Y
47	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Gug-wells	Y
48	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Land Development	Y
49	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	land Leveling and Shaping	Y
50	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Lining of Water Courses/Field Channel	Y
51	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Well	Y
52	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Cross Bond	Y
53	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Deepening and Repair of Flot Channels	Y
54	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Diversion Channel	Y
55	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Drainage in Water Logged Areas	Y

56	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Peripheral Bunding	Y
57	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Plantation	Y
58	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Bio Drainage	Y
59	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Belt Vegetaion	Y
60	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Nursery Raising	Y
61	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Boundary Plantation	Y
62	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Horticulture	Y
63	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Sericulture	Y
64	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Development of Waste	Y
65	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Development of Waste/ Fallow land	Y
66	IF	Work on Individuals land (Category-IV)	Reclamation of Saline/ Alkaline Land	Y
67	LD	Land Development	Pebble Bunding	Y
68	LD	Land Development	Stone Terracing	Y
69	LD	Land Development	Earthen Bunding	Y
70	LD	Land Development	Stone Bunding	Y
71	LD	Land Development	Development of Waste land	Y
72	LD	Land Development	land Leveling	Y
73	LD	Land Development	Reclamation of Land	Y
74	RS	Rural Sanitation	Stabilization Pond	Y
75	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Anicut	Y
76	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Artificial Recharge of Well Through Sand Filter	Y
77	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Check Dam	Y
78	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Earthen Dam	Y
79	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Farm Pond	Y
80	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Feeder Channel	Y
81	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Mini Percolation Tank (MPT)	Y
82	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Stop Dam	Y
83	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Sub Surface Dam	Y

84	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Sunken Pond	Y
85	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Underground Dyke	Y
86	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Boulder Creek	Y
87	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Water Absorption Trench	Y
88	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Box Trenches	Y
89	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Continuous Contour Trench (CCT)	Y
90	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Contour bands	Y
91	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Diversion Drain	Y
92	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Earthen Bunding	Y
93	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Earthen Gully Plug	Y
94	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Catchment	Y
95	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Loose Boulder Structure	Y
96	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Stagger Trench	Y
97	WC	Water Conseravtion and Water harvesting	Stone Bank	Y
98	WH	Renovation of Traditional Water Bodies	Desilting	Y
99	WH	Renovation of Traditional Water Bodies	Renovation	Y
100	WH	Renovation of Traditional Water Bodies	Strenthening of Embankment	Y

over exploited blocks (172)

230

361	PUNJAB	KAPURTHALA	PHAGWARA	PHAGWARA
362	PUNJAB	KAPURTHALA	SULTANPUR LODHI	SULTANPUR LODHI
363	PUNJAB	LUDHIANA	LUDHIANA (EAST)	DEHLON
364	PUNJAB	LUDHIANA	PAYAL	DORAHA
365	PUNJAB	LUDHIANA	JAGRAON	JAGRAON
366	PUNJAB	LUDHIANA	KHANNA	KHANNA
367	PUNJAB	LUDHIANA	LUDHIANA (EAST)	LUDHIANA - I
368	PUNJAB	LUDHIANA		MANGAT
369	PUNJAB	LUDHIANA	LUDHIANA (WEST)	PAKHOWAL
370	PUNJAB	LUDHIANA		RAIKOT
371	PUNJAB	LUDHIANA	SAMRALA	SAMRALA
372	PUNJAB	LUDHIANA	JAGRAON	SIDIWAN BET
373	PUNJAB	LUDHIANA	RAIKOT	SUDIAR
374	PUNJAB	MANSA	MANSA	BHUKH
375	PUNJAB	MANSA	BUDHILADA	BUDHILADA
376	PUNJAB	MANSA	SARDULGARH	HUNIR
377	PUNJAB	MANSA	MANSA	MANSA
378	PUNJAB	MANSA	SARDULGARH	SARDULGARH
379	PUNJAB	MOGA	BAGHA PURANA	BAGHA PURANA
380	PUNJAB	MOGA	DHARMKOT	KOT ISHE KAHN
381	PUNJAB	MOGA	MOGA	MOGA - I
382	PUNJAB	MOGA	MOGA	MOGA - II
383	PUNJAB	MOGA	NIHALSINGH WALA	NIHAL SINGH WALA
384	PUNJAB	NAWANSHAHR	NAWANSHAHR	AUR
385	PUNJAB	NAWANSHAHR	NAWANSHAHR	BANCA
386	PUNJAB	NAWANSHAHR	NAWANSHAHR	NAWANSHAHR
387	PUNJAB	PATIALA	PATIALA	BHUNER HERI
388	PUNJAB	PATIALA	DERA BASSI	DERA BASSI
389	PUNJAB	PATIALA	RAJPURA	GHANAUR
390	PUNJAB	PATIALA	NABHA	NABHA
391	PUNJAB	PATIALA	PATIALA	PATIALA
392	PUNJAB	PATIALA	SAMANA	PATRAN
393	PUNJAB	PATIALA	RAJPURA	RAJPURA
394	PUNJAB	PATIALA	SAMANA	SAMANA
395	PUNJAB	PATIALA	PATIALA	SANAUR
396	PUNJAB	RUPNAGAR	RUPNAGAR	CHAMKAUR SAHIB
397	PUNJAB	RUPNAGAR	KHARAR	KHARAR
398	PUNJAB	RUPNAGAR	RUPNAGAR	MORINDA
399	PUNJAB	RUPNAGAR	ANANDPUR SAHIB	NURPUR BEDI
400	PUNJAB	SANGRUR	MALEK KOTLA	AMARGARH
401	PUNJAB	SANGRUR	MOONAK	ANDANA
402	PUNJAB	SANGRUR	BARNALA	BARNALA
403	PUNJAB	SANGRUR	SANGRUR	BHAWANIGARH
404	PUNJAB	SANGRUR	DHURI	DHURI
405	PUNJAB	SANGRUR	MOONAK	LEHRAGAGA
406	PUNJAB	SANGRUR	BARNALA	MAHAL KALAN
407	PUNJAB	SANGRUR	DHURI	MALEKOTLA - I
408	PUNJAB	SANGRUR	SANGRUR	SANGRUR
409	PUNJAB	SANGRUR	BARNALA	SEHNA
410	PUNJAB	SANGRUR	DHURI	SHERPUR
411	PUNJAB	SANGRUR	SUNAM	SUNAM
412	Rajasthan	Ajmer	SARWAR	Aram ✓
413	Rajasthan	Ajmer	Bhinay	Bhinay ✓
414	Rajasthan	Ajmer	Jawaja	Jawaja ✓
415	Rajasthan	Ajmer	KEKRI	Kekri ✓
416	Rajasthan	Ajmer	KISHANGARH	Kishangarh
417	Rajasthan	Ajmer	BEAWAR	Masuda
418	Rajasthan	Ajmer	AJMER	Peesangan
419	Rajasthan	Ajmer	NASIRABAD	Srinagar
420	Rajasthan	Alwar	BANSIIR	Bansur
421	Rajasthan	Alwar		Behror
422	Rajasthan	Alwar	LACHHMANGARH	Kathumar
423	Rajasthan	Alwar		Kishangarh Bas
424	Rajasthan	Alwar		Kotkasim
425	Rajasthan	Alwar		Lachhmanagarh
426	Rajasthan	Alwar	MANDAWAR	Mandawar
427	Rajasthan	Alwar	DEHRO	Necmraua
428	Rajasthan	Alwar	RAJGARH	Rajgarh
429	Rajasthan	Alwar	RAMGARH	Ramgarh
430	Rajasthan	Alwar		Rem
431	Rajasthan	Alwar	THANAGAZI	Thanagazi
432	Rajasthan	Alwar	KISHANGARH BAS	Tijara
433	Rajasthan	Alwar	ALWAR	Umren
434	Rajasthan	Baran	99MANGROE	Antah

47

435	Rajasthan	Baran	ATRU	Atru
436	Rajasthan	Baran	BARAN	Baran
437	Rajasthan	Baran	CHHABRA	Chhabra
438	Rajasthan	Baran	CHHIPABAROD	Chhipabarod
439	Rajasthan	Barmer	PACHPADRA	Balotra
440	Rajasthan	Barmer	BAYTOO	Baytoo
441	Rajasthan	Barmer		Dhorimanna
442	Rajasthan	Barmer	SHEO	Sheo
443	Rajasthan	Barmer	SIWANA	Siwana
444	Rajasthan	Bharatpur	KUMHER	Kumher
445	Rajasthan	Bharatpur	NADBAI	Nadbai
446	Rajasthan	Bharatpur	RUPBAS	Rupbas
447	Rajasthan	Bharatpur	BHARATPUR	Sewar
448	Rajasthan	Bharatpur	WEIR	Weir
449	Rajasthan	Bhilwara	ASIND	Asind
450	Rajasthan	Bhilwara	BANERA	Banera
451	Rajasthan	Bhilwara	HURDA	Hurda
452	Rajasthan	Bhilwara	JHAZPUR	Jahazpur
453	Rajasthan	Bhilwara	KOTRI	Kotri
454	Rajasthan	Bhilwara	MANDAL	Mandal
455	Rajasthan	Bhilwara	MANDALGARH	Mandalgarh
456	Rajasthan	Bhilwara	RAIPUR	Raipur
457	Rajasthan	Bhilwara	SAHARA	Sahara
458	Rajasthan	Bhilwara	SHAH PURA	Shahpura
459	Rajasthan	Bhilwara	BHILWARA	Suwana
460	Rajasthan	Bikaner	BIKANER	Bikaner
461	Rajasthan	Bikaner	DUNGARGARH	Dungargarh
462	Rajasthan	Bikaner	NOKHA	Nokha
463	Rajasthan	Bundi	HINDOLI	Hindoli
464	Rajasthan	Bundi	NAINWA	Nainwa
465	Rajasthan	Bundi	BUNDI	Talera
466	Rajasthan	Chittaurgarh	BARISADRI	Bari Sadri
467	Rajasthan	Chittaurgarh	BEGUN	Begun
468	Rajasthan	Chittaurgarh	BHADESAR	Bhadesar
469	Rajasthan	Chittaurgarh	BEGUN	Bhainsrorgarh
470	Rajasthan	Chittaurgarh	KAPASAN	Bhopalsagar
471	Rajasthan	Chittaurgarh	CHITTAURGARH	Chittaurgarh
472	Rajasthan	Chittaurgarh	DUNGLA	Dungla
473	Rajasthan	Chittaurgarh	GANGRAR	Gangrar
474	Rajasthan	Chittaurgarh		Kapasan
475	Rajasthan	Chittaurgarh	NIMBAHERA	Nimbahera
476	Rajasthan	Chittaurgarh	RASHMI	Rashmi
477	Rajasthan	Churu	RAJGARH	Rajgarh
478	Rajasthan	Churu	SUJANGARH	Sujangarh
479	Rajasthan	Dausa	BASWA	Bandikui
480	Rajasthan	Dausa	DAUSA	Dausa
481	Rajasthan	Dausa	LALSOT	Lalsot
482	Rajasthan	Dausa	MAHWA	Mahwa
483	Rajasthan	Dausa	SIKRAI	Sikrai
484	Rajasthan	Dhaulpur	RASERI	Raseri
485	Rajasthan	Dhaulpur	DHAULPUR	Dhaulpur
486	Rajasthan	Dhaulpur	RAJAKHERA	Rajakhera
487	Rajasthan	Jaipur	AMBER	Amber
488	Rajasthan	Jaipur	BASSI	Bassi
489	Rajasthan	Jaipur	CHAKSU	Chaksu
490	Rajasthan	Jaipur	DUDU	Dudu
491	Rajasthan	Jaipur	SHAH PURA	Govindgarh
492	Rajasthan	Jaipur	JAMWA RAMGARH	Jamwa Ramgarh
493	Rajasthan	Jaipur	JAIPUR	Jhotwara
494	Rajasthan	Jaipur	KOTPUTLI	Kotputli
495	Rajasthan	Jaipur	PHULERA	Sambhar
496	Rajasthan	Jaipur	SANGANER	Sanganer
497	Rajasthan	Jaipur	VIRATNAGAR	Shahpura
498	Rajasthan	Jaipur		Viratnagar
499	Rajasthan	Jaisalmer		Jaisalmer
500	Rajasthan	Jaisalmer	POKARAN	Sankra
501	Rajasthan	Jalor	AIHORE	Ahore
502	Rajasthan	Jalor	RANIWARA	Bhimmal
503	Rajasthan	Jalor	SANCHORE	Chitalwana
504	Rajasthan	Jalor	JALOR	Jalor
505	Rajasthan	Jalor		Jaswantpur
506	Rajasthan	Jalor	RANIWARA	Raniwara
507	Rajasthan	Jalor		Sanchoe
508	Rajasthan	Jalor		Savla

231

28/05/17

509	Rajasthan	Jhalawar	JHALRAPATAN	Balau
510	Rajasthan	Jhalawar	GANGDIAR	Dag
511	Rajasthan	Jhalawar	PACHPAHAR	Jhalapatan
512	Rajasthan	Jhalawar	AKLERA	Manohar Thana
513	Rajasthan	Jhalawar	PIRAWA	Pirawa
514	Rajasthan	Jhunjhunun	JHUNJHUNUN	Alsina
515	Rajasthan	Jhunjhunun		Buhana
516	Rajasthan	Jhunjhunun	CHIRAWA	Chirawa
517	Rajasthan	Jhunjhunun		Jhunjhunun
518	Rajasthan	Jhunjhunun	KHETRI	Khetri
519	Rajasthan	Jhunjhunun	NAWALGARH	Nawalgarh
520	Rajasthan	Jhunjhunun		Surogarh
521	Rajasthan	Jhunjhunun	UDAIPURWATI	Udaipurwati
522	Rajasthan	Jodhpur	SHERGARH	Balesar
523	Rajasthan	Jodhpur		Rawari
524	Rajasthan	Jodhpur	BHOPALGARH	Bhopalgarh
525	Rajasthan	Jodhpur	BILARA	Bilara
526	Rajasthan	Jodhpur		Maudur
527	Rajasthan	Jodhpur	OSIAN	Osian
528	Rajasthan	Jodhpur		Phalodi
529	Rajasthan	Jodhpur		Shergarh
530	Rajasthan	Karauli	HINDAUN	Hindaun
531	Rajasthan	Karauli	99SAPOTRA	Sapotra
532	Rajasthan	Karauli	TODABHM	Todabhm
533	Rajasthan	Kota	RAMGANJ MANDI	Khairabad
534	Rajasthan	Kota	SANGOD	Sangod
535	Rajasthan	Nagaur	DEGANA	Degana
536	Rajasthan	Nagaur	DIDWANA	Didwana
537	Rajasthan	Nagaur	JAYAL	Jayal
538	Rajasthan	Nagaur	NAWA	Kuchaman City
539	Rajasthan	Nagaur		Makrana
540	Rajasthan	Nagaur	MERTA	Merta
541	Rajasthan	Nagaur		Mundwa
542	Rajasthan	Nagaur	PARBATSAR	Parbatsar
543	Rajasthan	Nagaur		Riyan
544	Rajasthan	Pali		Bali
545	Rajasthan	Pali	DESURI	Desuri
546	Rajasthan	Pali	JAITARAN	Jaitaran
547	Rajasthan	Pali	MARWAR JUNCTION	Marwar Junction
548	Rajasthan	Pali	RAIPUR	Raipur
549	Rajasthan	Pali		Rani
550	Rajasthan	Pali	SOJAT	Sojat
551	Rajasthan	Pratapgarh	ARNOD	Arnod
552	Rajasthan	Pratapgarh	CHHOTI SADRI	Chhoti Sadri
553	Rajasthan	Pratapgarh	PRATAPGARH	Pratapgarh
554	Rajasthan	Rajsamand	AMET	Amet
555	Rajasthan	Rajsamand	BHIM	Bhim
556	Rajasthan	Rajsamand	DEOGARH	Deogarh
557	Rajasthan	Rajsamand	NATHDWARA	Khamnor
558	Rajasthan	Rajsamand	KUMBHALGARH	Kumbhalgarh
559	Rajasthan	Rajsamand	RAILMAGRA	Railmagra
560	Rajasthan	Rajsamand	RAJSAMAND	Rajsamand
561	Rajasthan	Sawai Madhopur	BAMANWAS	Bamanwas
562	Rajasthan	Sawai Madhopur	BONLI	Bonli
563	Rajasthan	Sawai Madhopur	GANGAPUR	Gangapur
564	Rajasthan	Sawai Madhopur	KHANDAR	Khandar
565	Rajasthan	Sawai Madhopur	SAWAI MADHOPUR	Sawai Madhopur
566	Rajasthan	Sikar	DANTA RAMGARH	Danta Ramgarh
567	Rajasthan	Sikar		Dhond
568	Rajasthan	Sikar		Khandela
569	Rajasthan	Sikar	LACHIMANGARH	Lachimangarh
570	Rajasthan	Sikar	NEEM KA THANA	Neem Ka Thana
571	Rajasthan	Sikar	SIKAR	Piprali
572	Rajasthan	Sikar	SRI MADHOPUR	Srimadhoper
573	Rajasthan	Sirohi	REODAR	Reodar
574	Rajasthan	Sirohi	SHEOGANJ	Sheoganj
575	Rajasthan	Sirohi	SIROHI	Sirohi
576	Rajasthan	Tonk	MALPURA	Malpura
577	Rajasthan	Tonk	NIWAI	Niwai
578	Rajasthan	Tonk	UNIARA	Umara
579	Rajasthan	Udaipur		Bargaon
580	Rajasthan	Udaipur	VALLABHNAGAR	Bhinder
581	Rajasthan	Udaipur	GIRWA	Girwa
582	Rajasthan	Udaipur	GOGUNDA	Gogunda

ct 1

ct 4

ct 4

ct 8

[ct 7 -> 9]

175 58-15 8

233

593	Rajasthan	Udaipur	MAVLI	Mavli
594	Tamil Nadu	ARIYALUR	SUTHAMALLI	SUTHAMALLI
595	Tamil Nadu	CHENNAI	EGMORE - NUNGAMBAK	EGMORE - NUNGAMBAK
596	Tamil Nadu	CHENNAI	EGMORE - NUNGAMBAK	EGMORE - NUNGAMBAK
597	Tamil Nadu	CHENNAI	EGMORE - NUNGAMBAK	EGMORE - NUNGAMBAK
598	Tamil Nadu	CHENNAI	EGMORE - NUNGAMBAK	EGMORE - NUNGAMBAK
599	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
600	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
601	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
602	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
603	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
604	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
605	Tamil Nadu	CHENNAI	KOTTAI - THONDIARPE	KOTTAI - THONDIARPE
606	Tamil Nadu	CHENNAI	MAMBALAM - GUINDY-I	MAMBALAM - GUINDY-I
607	Tamil Nadu	CHENNAI	MAMBALAM - GUINDY-I	MAMBALAM - GUINDY-I
608	Tamil Nadu	CHENNAI	MAMBALAM - GUINDY-I	MAMBALAM - GUINDY-I
609	Tamil Nadu	CHENNAI	MAMBALAM - GUINDY-I	MAMBALAM - GUINDY-I
610	Tamil Nadu	CHENNAI	MAMBALAM - GUINDY-I	MAMBALAM - GUINDY-I
611	Tamil Nadu	CHENNAI	MYLAPORE - TIRUVALLI	MYLAPORE - TIRUVALLI
612	Tamil Nadu	CHENNAI	MYLAPORE - TIRUVALLI	MYLAPORE - TIRUVALLI
613	Tamil Nadu	CHENNAI	MYLAPORE - TIRUVALLI	MYLAPORE - TIRUVALLI
614	Tamil Nadu	CHENNAI	MYLAPORE - TIRUVALLI	MYLAPORE - TIRUVALLI
615	Tamil Nadu	CHENNAI	MYLAPORE - TIRUVALLI	MYLAPORE - TIRUVALLI
616	Tamil Nadu	CHENNAI	PURASAWALKAM - PERUR	PURASAWALKAM - PERUR
617	Tamil Nadu	CHENNAI	PURASAWALKAM - PERUR	PURASAWALKAM - PERUR
618	Tamil Nadu	CHENNAI	PURASAWALKAM - PERUR	PURASAWALKAM - PERUR
619	Tamil Nadu	CHENNAI	PURASAWALKAM - PERUR	PURASAWALKAM - PERUR
620	Tamil Nadu	CHENNAI	PURASAWALKAM - PERUR	PURASAWALKAM - PERUR
621	Tamil Nadu	COIMBATORE	ANNUR(N)	ANNUR(N)
622	Tamil Nadu	COIMBATORE	ANUPPARPALAYAM	ANUPPARPALAYAM
623	Tamil Nadu	COIMBATORE	COIMBATORE SOUTH	COIMBATORE SOUTH
624	Tamil Nadu	COIMBATORE	GANAPATHI	GANAPATHI
625	Tamil Nadu	COIMBATORE	KARUMATHAMPATTI	KARUMATHAMPATTI
626	Tamil Nadu	COIMBATORE	KINATHUKATAVU	KINATHUKATAVU
627	Tamil Nadu	COIMBATORE	KOLARPATTI	KOLARPATTI
628	Tamil Nadu	COIMBATORE	KOVILPALAYAM	KOVILPALAYAM
629	Tamil Nadu	COIMBATORE	PERIANAIKENPALAYAM	PERIANAIKENPALAYAM
630	Tamil Nadu	COIMBATORE	PERIANEGAMAM	PERIANEGAMAM
631	Tamil Nadu	COIMBATORE	PERUR	PERUR
632	Tamil Nadu	COIMBATORE	POLLACHI(N)	POLLACHI(N)
633	Tamil Nadu	COIMBATORE	POLLACHI(S)	POLLACHI(S)
634	Tamil Nadu	COIMBATORE	RAMAPATTINAM	RAMAPATTINAM
635	Tamil Nadu	COIMBATORE	SELAKKARICHAL	SELAKKARICHAL
636	Tamil Nadu	COIMBATORE	SINGANAILLUR	SINGANAILLUR
637	Tamil Nadu	COIMBATORE	SULUR	SULUR
638	Tamil Nadu	COIMBATORE	THONDAMUTHUR	THONDAMUTHUR
639	Tamil Nadu	COIMBATORE	THUDIALUR	THUDIALUR
640	Tamil Nadu	COIMBATORE	VADACHITTUR	VADACHITTUR
641	Tamil Nadu	COIMBATORE	VARAPATTI	VARAPATTI
642	Tamil Nadu	CUDDALORE	KAMMAPURAM(E)	KAMMAPURAM(E)
643	Tamil Nadu	CUDDALORE	KAMMAPURAM(W)	KAMMAPURAM(W)
644	Tamil Nadu	CUDDALORE	PENNADAM	PENNADAM
645	Tamil Nadu	CUDDALORE	RETTY CHAVADI	RETTY CHAVADI
646	Tamil Nadu	CUDDALORE	THIRUVANTHIPURAM	THIRUVANTHIPURAM
647	Tamil Nadu	CUDDALORE	UMANGALAM	UMANGALAM
648	Tamil Nadu	CUDDALORE	VIRUDHACHALAM (S)	VIRUDHACHALAM (S)
649	Tamil Nadu	DHARMAPURI	BOMMIDI	BOMMIDI
650	Tamil Nadu	DHARMAPURI	INDUR	INDUR
651	Tamil Nadu	DHARMAPURI	KADATHUR	KADATHUR
652	Tamil Nadu	DHARMAPURI	KAMBAINALLUR	KAMBAINALLUR
653	Tamil Nadu	DHARMAPURI	KARIMANGALAM	KARIMANGALAM
654	Tamil Nadu	DHARMAPURI	MARANDAHALLI	MARANDAHALLI
655	Tamil Nadu	DHARMAPURI	PALACODE	PALACODE
656	Tamil Nadu	DHARMAPURI	PALAYAM	PALAYAM
657	Tamil Nadu	DHARMAPURI	PAPPARAPATTY	PAPPARAPATTY
658	Tamil Nadu	DHARMAPURI	PENNAGARAM	PENNAGARAM
659	Tamil Nadu	DHARMAPURI	PERUMBALAI	PERUMBALAI
660	Tamil Nadu	DHARMAPURI	PULIKARAI	PULIKARAI
661	Tamil Nadu	DHARMAPURI	THENKARAIKOTTAI	THENKARAIKOTTAI
662	Tamil Nadu	DHARMAPURI	VELLICHANDAI	VELLICHANDAI
663	Tamil Nadu	DINDUGAL	AYYAMPALAYAM	AYYAMPALAYAM
664	Tamil Nadu	DINDUGAL	BATLAGUNDU	BATLAGUNDU
665	Tamil Nadu	DINDUGAL	CHINNAKKAMPATTI	CHINNAKKAMPATTI
666	Tamil Nadu	DINDUGAL	CHINNALPATTI	CHINNALPATTI
667	Tamil Nadu	DINDUGAL	DEVATHUR	DEVATHUR
668	Tamil Nadu	DINDUGAL	ERIDU	ERIDU
669	Tamil Nadu	DINDUGAL	KALLIMANTHAYAM	KALLIMANTHAYAM
670	Tamil Nadu	DINDUGAL	KOTTANATHAM	KOTTANATHAM
671	Tamil Nadu	DINDUGAL	KOVILUR	KOVILUR
672	Tamil Nadu	DINDUGAL	NILAKOTTAI	NILAKOTTAI

critical blocks (24)

241

54	KARNATAKA	KOPPAL	YITBARGA	YITBARGA
55	KARNATAKA	MANDYA	MADDUR	MADDUR
56	KARNATAKA	MYSORE	NANJANGUD	NANJANGUD
57	KARNATAKA	MYSORE	TIRUMAKUDAL-NAR	TIRUMAKUDAL NARSIPUR
58	KARNATAKA	RAMANAGARAM	CHANNAPATNA	CHANNAPATNA
59	KARNATAKA	RAMANAGARAM	MAGADI	MAGADI
60	KARNATAKA	TUMKUR	KUNIGAL	KUNIGAL
61	KARNATAKA	TUMKUR	GUBBI	GUBBI
62	KARNATAKA	TUMKUR	SIRA	SIRA
63	KERALA	Kasaragod	KASARAGOD MUNIC	Kasaragod
64	KERALA	Palakkad	MALAMPUZHA	Malampuzha
65	MADHYA PRADE	NARSIMHAPUR	NARSIMHAPUR	NARSIMHAPUR
66	MADHYA PRADE	SATNA	AMARPATAN	AMARPATAN
67	MADHYA PRADE	SATNA	SOHAWAL	SOHAWAL
68	MADHYA PRADE	SHAJAPUR	AGAR	AGAR
69	MAHARASHTRA	AMRAVATI	CHANDURBAZAR	CHANDURBAZAR
70	MAHARASHTRA	SANGLI	KAVATHE-MAHANK	KAVATHE-MAHANKAL
71	PUNJAB	BATHINDA	BATHINDA	NATHANA
72	PUNJAB	BATHINDA	RAMPURA PHUL	RAMPURA
73	PUNJAB	GURDASPUR	GURDASPUR	GURDASPUR
74	PUNJAB	HOSHARPUR	HOSHARPUR	HOSHARPUR - I
75	Rajasthan	Barmer	CHOHTAN	Chohtan
76	Rajasthan	Barmer	GUDHA MALANI	Sindhari
77	Rajasthan	Bharatpur	RUPBAS	Bayana
78	Rajasthan	Bharatpur	DEEG	Deeg
79	Rajasthan	Bharatpur	KAMAN	Kaman
80	Rajasthan	Bharatpur	NAGAR	Nagar
81	Rajasthan	Dhaulpur	BARI	Bari
82	Rajasthan	Jaisalmer	JAISALMER	Sam
83	Rajasthan	Jhalawar	KHANPUR	Khanpur
84	Rajasthan	Karauli	KARAUJI	Karauli
85	Rajasthan	Karauli	99NADOTI	Nadoti
86	Rajasthan	Nagaur	LADNU	Ladnu
87	Rajasthan	Nagaur	NAGAUR	Nagaur
88	Rajasthan	Pali	Rohat	Rohat
89	Rajasthan	Pali	BALI	Sumerpur
90	Rajasthan	Pratapgarh	DHARIAWAD	Dhariawad
91	Rajasthan	Sirohi	ABU ROAD	Abu Road
92	Rajasthan	Sirohi	PINDWARA	Pindwara
93	Rajasthan	Tonk	DEOLI	Deoli
94	Rajasthan	Udaipur	JHADOL	Jhadol
95	Rajasthan	Udaipur	KHERWARA	Kherwara
96	Rajasthan	Udaipur	Lasadiya	Lasadiya
97	Rajasthan	Udaipur	SALUMBAR	Salumbar
98	Rajasthan	Udaipur	SARADA	Sarada
99	TAMIL NADU	COIMBATORE	OTTAKKAL MANDA	OTTAKKAL MANDABAM
100	TAMIL NADU	CUDDALORE	MANJAKKUPPAM	MANJAKKUPPAM
101	TAMIL NADU	CUDDALORE	NELLIKUPPAM	NELLIKUPPAM
102	TAMIL NADU	CUDDALORE	SIRUPAKKAM	SIRUPAKKAM
103	TAMIL NADU	DINDUGAL	ORUTHATTU	ORUTHATTU
104	TAMIL NADU	DINDUGAL	PILLAIYARNATHAM	PILLAIYARNATHAM
105	TAMIL NADU	ERODE	ATHANI	ATHANI
106	TAMIL NADU	KANCHEEPURAM	CHITTIAMBAKKAM	CHITTIAMBAKKAM
107	TAMIL NADU	KANCHEEPURAM	JAMEENENDATHUR	JAMEENENDATHUR
108	TAMIL NADU	KANCHEEPURAM	PALLUR	PALLUR
109	TAMIL NADU	KANCHEEPURAM	THIRUKAZHUKUND	THIRUKAZHUKUNDRAM
110	TAMIL NADU	KANCHEEPURAM	THIRUPULIVANAM	THIRUPULIVANAM
111	TAMIL NADU	KARUR	KATTALAI	KATTALAI
112	TAMIL NADU	MADURAI	SEDAPATTI	SEDAPATTI

CA
24 blocks
12 ASK